जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/संबद्धता/2013/169

दिनांक : 18/04/13

प्रति,

प्राचार्य, समस्त महाविद्यालयों

विषय :- परिनियम 28(17) के तहत चयन समिति गठित करने के लिए विज्ञापन न देने बावत्।

महोदय,

आपके महाविद्यालय द्वारा 28(17) के अंतर्गत चयन समिति गठन के लिए आवश्यक फीस विश्वविद्यालय में जमा की गई थी किंतु आपके द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा नहीं कराया गया है। इस कारण चयन समिति गठन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस में आप अपने महाविद्यालय में नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित करवा कर उसकी छायाप्रति इस कार्यालय को भेजें। यदि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार समयसीमा में कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी तो स्थायी समिति के निर्णयानुसार रू. 20000/- अर्थदण्ड जमा कराने के उपरान्त ही चयन समिति का गठन किया जा सकेगा जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय

कुलसचिव